बिहार सरकार

समाहरणालय, अररिया
(जिला स्थापना प्रशाखा)

दूरभाष सं. : 06453-222001 (का0)
: 06453-222102 (आ0)
फैक्स सं. : 06453-222124
email Id : dm-araria.bih@nic.in

ज्ञापांक ..618../स्था0, अररिया दिनांक 01/08/2019

कार्यपालक सहायक के नियोजन हेतु काउन्सेलिंग संबंधी आवश्यक सूचना

अररिया जिलान्तर्गत वर्ष, 2018 में कार्यपालक सहायक के पैनल निर्माण के क्रम में दिनांक 30.11.2018 को आयोजित बैठक में जिला चयन समिति द्वारा 542 अभ्यर्थियों का "मेधा सूची" को अनुमोदित करते हुए जिला के आधिकारिक वेबसाईट (www.araria.nic.in) पर प्रकाशित किया गया। वर्तमान में कोटिवार कार्यपालक सहायक का 43 रिक्त पद है, जिसके विरूद्ध काउन्सेलिंग कराया गया जिसमें कोटिवार 13 अभ्यर्थियों के द्वारा काउन्सेलिंग नहीं कराया गया है। उक्त 13 रिक्त पदों पर काउन्सेलिंग कराया जाना है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकाशित "कार्यपालक सहायक, 2018 का मेधा सूची" में से कुल 13 रिक्त पदों के विरूद्ध 13 अभ्यर्थियों का कोटिवार मेघा सूची के अनुसार (कोटिवार मेघाक्रम के अनुसार चयनित) अभ्यर्थियों का काउंसिलिग के पश्चात् आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुरूप नियोजन करने का निर्णय जिला चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

काउन्सेलिंग हेतु कुल 13 अभ्यर्थियों की सूची (कोटिवार चयनित मेघा सूची) को जिला के आधिकारिक वेबसाईट (www.araria.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए काउन्सेलिंग कार्यक्रम का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है :-

क्र0सं0	दिनांक	समय	काउन्सेलिंग स्थल	अभ्यर्थियों का आई0डी0 संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	2.8.2019	10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक	जिला स्थापना प्रशाखा, अररिया (समाहरणालय, अररिया)	काउन्सेलिंग हेतु कोटिवार अभ्यर्थियों की सूची जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर प्रकाशित की गई है।	

काउन्सेलिंग हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि/स्थान/समय पर निम्नांकित कागजातों (मूल प्रति एवं एक सेट स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति) के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे :-

1. आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस (फोटोयुक्त) कोई एक।
2. Applicantion ID की पावती की छायाप्रति।
3. शैक्षणिक योग्यता (न्यूनतम मैट्रिक)
4. कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
5. जाति प्रमाण-पत्र अद्यतन।
6. आवासीय प्रमाण-पत्र अद्यतन।
7. अद्यतन पासपोर्ट साईज दो रंगीन फोटो।

नोट : जिन अभ्यर्थी का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में किया गया है, को काउन्सेलिंग के समय सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत परिसम्पति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। (विभागीय पत्र की छायाप्रति संलग्न)

अतः काउन्सेलिंग हेतु जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर प्रकाशित सूची के सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अनिवार्य रूप से काउन्सेलिंग हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। काउन्सेलिंग में भाग नहीं लेने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी (Candidature) स्वतः रद्द हो जायेगा।

जिला पदाधिकारी,
अररिया

अनुसूची–II

(प्रपत्र–II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वंय घोषणा पत्र

स्वंय घोषणा पत्र

मैं..पुत्र / पुत्री / पति..
गाँव / शहर.. पोस्ट ऑफिस.............................. थाना.......................
प्रखण्ड.............................. अनुमण्डल.................. जिला............................ राज्य.................. ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवदेन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि :–

1. मैं....................................... जाति से संबंध रखता / रखती हूँ जो बिहार हेतु अधिसूचित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल स्त्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय,पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू.. (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास .... अंचल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) .... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता हूँ।

4. मै घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसंपत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है–

i. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे उपर।
ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट।
iii. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।
iv. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता / करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य / गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ / जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी / कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा / रहूँगी।

नोटः– जो लागू नही हो उसे काट दें।

आवदेक / आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम।

स्थान :–

दिनांक :–

26/2/19

अनुसूची–I
(प्रपत्र–I)

बिहार सरकार

कार्यालय का नाम.......................................

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या–....................... दिनांक–.......................

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पति ....गाँव/शहर .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... अनुमंडल .... जिला .... राज्य .... पिन कोड .... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नहीं है :–

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ....जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित नहीं है।

हस्ताक्षर ....
पदनाम ....
(कार्यालय का मुहर सहित)

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

26/2/19